**भूमि के किरायेदार का बेदखली से संरक्षण अन्तर्गत धारा 29-क उ०प्र० अधिनियम 13 सन् 1972**

**Protection u/s 29-A of U.P. Act of 1972 of tenant of land from eviction**

न्यायालय .............

वाद सं० ............ सन् ............

अ ब स ........................ वादी

बनाम

स द फ ........................ प्रतिवादी

महोदय,

प्रतिवादी निम्न निवेदन करता है :

1. यह कि प्रतिवादी ने वादी की निम्नांकित भूमि स्थित गाँव ............ में किराये पर ली थी और प्रतिवादी ने वादी से अनुज्ञा लेकर उस पर अपना व्यय करके एक दुकान/मकान का स्थाई निर्माण कर लिया था और उसका उपभोग कर रहा है।
2. यह वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध उपरोक्त वाद प्रतिवादी को धारा 106 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 देकर बेदखली का कर रखा है जो दिनाँक ............ को सुनवाई में लगा हुआ है।
3. यह कि वाद पर्यन्त दिनाँक ............ को सरकारी अधिसूचना से गाँव .......... जिसमें प्रतिवादी की किराये की भूमि है, टाउन एरिया/नगरपालिका/नगरनिगम की सीमा में सम्मिलित हो गया है और उस पर उ०प्र० अधिनियम सं० 13 सन् 1972 के प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 29 क के प्रावधानों के अनुसार लागू हो गये हैं।
4. यह कि प्रतिवादी बेदखली से बचने हेतु बिना किसी शर्त के माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाला बढ़ा किराया वाद पर्यन्त मय व्यय वादी को देना चाहता हूँ। और भविष्य में भी बढ़ा किराया देते रहने का वचन देता हूँ।
5. यह कि प्रतिवादी ने उक्त प्रस्ताव का प्रार्थना पत्र अधिसूचना जारी होने के तीन माह के अन्दर ही प्रस्तुत कर दिया है।

अत: प्रार्थना है कि उ० प्र० अधिनियम 13 सन् 1972 की धारा 29-क (6) के प्रावधानों के अधान बढ़ा किराया निर्धारित करने की कृपा करें और प्रतिवादी से सम्पूर्ण वाद पर्यन्त का बढ़ा कराया मय व्यय जमा कराकर वाद खारिज करने की कृपा करें और किरायेदारी तदानुसार चाल रखने के आदेश देने की कृपा करें।

दिनांक ............विवरण भूमि ............ क्षेत्रफल ........... **.............प्रतिवादी**

संख्या/लम्बाई चौड़ाई  **...........द्वारा अधिवक्ता**

मय सीमा गाँव ............

**सत्यापन**

मै............. प्रतिवादी सत्यापित करता हूँ कि प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 1 लगायत 5 के तथ्य पतगत ज्ञान में सत्य है । न तो कोई तथ्य झूठा है और न कोई तथ्य छिपाया गया है।

**स्थान .........दिनांक.........**

**.............प्रतिवादी**

**...........द्वारा अधिवक्ता**